न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री सक्षम गोयल, आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
03/2023	अपील 75 LRA	16.06.2023	03.08.2023

1. मोहम्मद मुर्तजा पुत्र मोहम्मद अब्बास थीम जाति थीम व्योपारी निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. मोहम्मद याकुब थीम पुत्र हाजी सुलेमान थीम जाति थीम व्योपारी निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

—अपीलाण्ट्स—

बनाम

1. ग्राम पंचायत खांसौली पंचायत समिति, चूरू तहसील व जिला चूरू जरिये सरपंच
2. श्रवणकुमार पुत्र लुणाराम जाति खाती निवासी बस स्टेण्ड के सामने वार्ड न. 19 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. सांवरमल जांगिड पुत्र लूणाराम जाति खाती निवासी सीर सागर कुए के पास, नई सड़क वार्ड नं. 19 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. सुरेन्द्रकुमार जांगिड़ पुत्र श्री लूणाराम जाति खाती निवासी प्राईवेट बस स्टेण्ड के सामने सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

—रेस्पोडेण्ट्स—

अपील विरूद्ध निर्णय प्रस्ताव व आदेश इन्तकाल सं. 2085 दिनांक 05.04.2023

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री हीरालाल मण्डार अपीलाण्टान

निर्णय

अपीलार्थीगण की ओर से पेश अपील से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से हैं कि आदेश प्रस्ताव व निर्णय जेर अपील खिलाफ कायदा खिलाफ वाकेयात् मिसल व नियम व न्याय विरूद्ध होने के कारण कायम रहने योग्य नहीं है। कृषि भूमि खसरा नं. 654/55 तादादी 1.2014 हैक्टेयर में रोही रामसरा, तहसील, चूरू में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 04 की उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में 1/2 हिस्से में से प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्से में से 1/6, 1/6 हिस्से का बेचान दिनांक 03.03.2023 को अपीलाण्टस के पक्ष में उप पंजीयक कार्यालय चूरू में आकर गवाहान की मौजूदगी में प्रतिफल लेकर करवा दिया एवं मौके पर जाकर अपीलाण्टस को कब्जा सुपुर्द कर दिया जो कब्जा बैनामा के दिनांक से आज तक अपीलाण्टस का कायम चला आ रहा है। दिनांक 03.03.2023 के बैनामा के आधार पर ग्राम पंचायत खांसौली तहसील चूरू व जिला चूरू में अपीलाण्टस द्वारा अपने नाम नामान्तरकरण तस्दीक करने का प्रार्थना पत्र पेश किया मगर ग्राम पंचायत खांसौली द्वारा कानून से बाहर जाकर [illegible] को बिना सुने एवं अपीलाण्टस से बिना जानकारी प्राप्त किये व बिना जांच किये नामान्तरकरण निरस्त कर दिया, नामान्तरकरण निरस्त करने का कोई न्यायोचित कारण नहीं बताया । उक्त [illegible] भूमि बाबत बैनामा के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने के लिए किसी प्रकार की आ[illegible] शिकायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2023.08.21 11:39:53 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

नहीं आई तथा ना ही रेस्पोडेण्टस को कोई शिकायत थी फिर भी नामान्तरकरण बिना कारण के निरस्त कर दिया गया । इस प्रकार निर्णय जेर अपील न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण कायम रहने योग्य नहीं है और निरस्त करने के काबिल है, जिसे निरस्त किया जाकर अपीलाण्टस का नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे। ग्रम पंचायत खांसौली द्वारा पारित किया गया निर्णय किसी भी प्रकार से कानूनी प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा इस मामले में तथ्यों का कोई विश्लेषण नहीं किया गया । अपीलाण्टस द्वारा रजिस्टर्ड बैनामा व प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी नामान्तरकरण निरस्त कर दिया इसलिये इस प्रकार का किया गया निर्णय पूर्णतया अवैधानिक है जो खारिज करने के काबिल है। अदालतवाला को अपील हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार होने से उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्टस की अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत खांसौली द्वारा निरस्त किये गये नामान्तरकरण सख्या 2085 को स्वीकार किया जावे तथा ग्राम पंचायत खांसौली के आदेश दिनांक 05.04.2023 को निरस्त किया जावे।

प्रस्तुत अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टान को सम्मन जारी किये गये जो अदम तामील प्राप्त होने पर सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने जाने की रसीद अपीलाण्टास के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी । रेस्पोडेण्टस 2 व 4 के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलाण्टस के साथ उनका कोई विवाद नही है तथा अपीलाण्टस राजस्व रिकॉर्ड में बैनामा अनुसार अपना नाम दर्ज करवाते हैं तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। अपीलाण्टस का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज कर दिया जावे। अधिवक्ता अपीलाण्टस की ओर से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को सम्मन डिलिवरी रिपोर्ट पेश की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को सम्यक रूप से सम्मन तामील हो जाने के उपरान्त भी बिना किसी कारण के, बिना सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही आने के कारण उन पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को एक्स पार्टी किया जाता है। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4 की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने एवं अपनी सहमति प्रदान करने एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 पर एक पक्षीय कार्यवाही होने से पत्रावली अधिवक्ता अपीलाण्टस के निवेदन करने पर बहस में नियत की गयी।

अधिवक्ता अपीलाण्टस की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्टस द्वारा कथन किया गया कि बैनामा दिनांक 03.03.2023 पंजीयन कार्यालय चूरू से पंजीकृत गवाहों की मौजूदगी में प्रतिफल दिया जाकर पंजीकृत करवाया गया जिस पर भूमि के केता व विकेता के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है फिर भी ग्रम पंचायत खांसौली द्वारा बिना कानूनी कारण के दर्ज नामान्तरकरण संख्या 2085 दिनांक 05.04.2023 को निरस्त कर दिया गया । जो न्यायोचित नहीं होने से यह अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत खांसौली का निर्णय दिनांक 05.04.2023 को निरस्त किया जावे।

अपीलाण्टान द्वारा प्रस्तुत अपील, पेश दस्तावेजात एवं अपीलाण्टस विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस के तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। अपीलाण्टस द्वारा पेश अपील रामसरा के नामान्तरकरण सं. 2085 दिन[illegible]2023 जो ग्रम पंचात खांसौली द्वारा निरस्त कर दिया गया, के विरूद्ध [illegible] 2085 पंजीकृत बैनामा दिनांक 03.03.2023 के आधार पर प्रस्तावित [illegible] ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय दिनांक 05.04.2023 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण निरस्त करने का कोई उचित कारण नामान्तरकरण पर अंकित नहीं किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2023.08.21 11:39:53 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त बैनामा में उनके व अपीलाण्टस के मध्य कोई विवाद नहीं है तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अपीलाण्टस का नाम दर्ज करवाने में वे सहमत है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 पर एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है।

उपरोक्त दस्तावेजों में अंकित तथ्यों के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2085 पंजीकृत बैनामा दिनांक 03.03.2023 के आधार पर दर्ज कर प्रस्तावित किया गया था। पंजिकृत बैनामा तब तक वैद्य होता है जब तक उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैद्य घोषित नहीं कर दिया जावे। बैनामा दिनांक 03.03.2023 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2085 को ग्राम पंचायत खांसौली द्वारा बिना किसी न्यायोचित कारण के निर्णय दिनांक 05.04.2023 से निरस्त कर दिया गया तथा अपील पर रेस्पोडेण्टस को भी कोई आपत्ति व एतराज नही हैं तथा अपीलाण्टस का नाम बैनामें के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज कराने में रेस्पोडेण्ट सहमत हैं । उक्त तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा बिना कारण के नामान्तरकरण संख्या 2085 पर दिया गया खारिजी आदेश दिनांक 05.04.2023 प्रथम दृष्टया अपास्त योग्य होने से अपील अपीलाण्टस स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 2085 पर ग्राम पंचायत खांसौली द्वारा दिया गया खारिजी आदेश दिनांक 05.04.2023 को अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रोही ग्रम रामसरा तसहील चूरू जिला चूरू के खसरा नम्बर 654/55 तादादी 1.2014 हैक्टेयर में किया गया पंजिकृत बैनामा दिनांक 03.03.2023 के आधार पर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही की जाकर अपीलाण्टस के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जावे।

आदेश आज दिनांक 03.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2023.08.21 11:39:53 IST
Reason: SelfAttested